पत्रांक :–3/यो01–28/2024 (उ0 शि0) 171/बजट/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 13/10/2026/

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य हेतु रू0 34,62,10,300/– (चौतीस करोड़ बासठ लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,00,00,000/–(बीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग – स्वीकृत्यादेश संख्या 200/बजट दिनांक 18.12.2025 एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची का पत्रांक 2874(नि0) दिनांक 07.10.26.

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। वर्तमान में झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात 18.6 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि के उदेद्श्य से वैसे जिलों जिनका (GER) कम है, में आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। उक्त के क्रम में विभागीय आदेश संख्या 1956 दिनांक 07.09.2016 के द्वारा चतरा जिला के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री महोदय का सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 500.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य हेतु रू0 34,62,10,300/– (चौतीस करोड़ बासठ लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 20,00,00,000/–(बीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपरोक्त राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, Sub Scheme head-01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203102BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

5. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के द्वारा किया जायेगा, जो समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

7. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम–339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

13.10.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–28/2024 (उ0 शि0) 171/बजट /रॉची, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.10.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–28/2024 (उ0 शि0) 171/बजट /रॉची, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.10.26
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सुचित कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी

(सुधीर कुमार)
अवर सचिव